न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/1870/2005/चितौडगढ

1. राजेन्द्र पुरी
2. कमलपुरी
3. गगनपुरी पुत्रगण स्व. तख्तपुरी
4. गायत्री
5. हेमा
6. वीना पुत्रियां स्व. तख्तपुरी
7. शंकरपुरी पुत्र लक्ष्मणपुरी
8. शिवपुरी
9. चन्द्रप्रकाश पुरी
10. सुरेन्द्र पुरी पुत्रगण स्व. हुकमपुरी
11. रूकमणदेवी पत्नी स्व. हुकमपुरी
12. इन्द्रादेवी पुत्री स्व. हुकमपुरी
14. मोहनपुरी
15. पुरूषोत्तम
16. प्रकाश पुरी
17. रमेशपुरी पुत्रगण स्व. लक्ष्मणपुरी
18. मु. कमला पुत्री स्व. लक्ष्मणपुरी
19. मु. परमेश्वरी पत्नी स्व0 फतहपुरी
20. रविन्द्र पुरी पुत्र स्व. फतहपुरी
21. प्रेमकुंवर पत्नी स्व. फतहपुरी
22. जेवन्तपुरी पुत्री स्व. फतहपुरी
23. दुर्गेश पुत्री स्व. फतहपुरी
24. मु. कौशल्या
25. मु. शकुन्तला नाबालिग पुत्रियां स्व. फतहपुरी जरिये माता
    मु. परमेश्वरी देवी पत्नी स्व. फतहपुरी
    सभी निवासीगण चितौडगढ तहसील व जिला चितौडगढ

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, चितौडगढ
2. नगर विकास प्रन्यास जरिये सचिव, नगरपालिका, चितौडगढ

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री महावीर सिंह, सदस्य

श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित–

श्री पूर्णाशंकर दशोरा, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री वी.पी. सिंह, राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या–1
श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांक 11.06.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–12–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चितौडगढ के न्यायालय में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1605/1 रकबा 12बीघा 17बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1606 रकबा 02बीघा 15बिस्व कुल किता दो कुल रकबा 15बीघा 12 बिस्वा भूमि बाबत् प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित भूमि वादीगण को मिसल नम्बर 274 सम्वत् 1988 व मिसल नम्बर 1–क 120 सम्वत् 1988 के द्वारा दी गयी परन्तु राज्य मेवाड के वक्त भूपाल भवन के निर्माण के वक्त 07बीघा 05बिस्वा भूमि बिलानाम दर्ज कर दी, जिसमें से 04बीघा 08बिस्वा भूमि वादी के नाम दर्ज कर दी और शेष 02बीघा 17बिस्वा भूमि को बिलानाम रह गयी, जिसे राज्य सरकार ने वादीगण के नाम अंकित नहीं किया। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जाकर खसरानम्बर 1605/1 रकबा 12बीघा 17बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी नगर विकास प्रन्यास, चितौडगढ

की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 06 विवाद्यक की विरचना कर उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादीगण अपीलार्थीगण की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–12–2004 से खारिज कर दी। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी वादीगण कोमिसल नम्बर 274 सम्वत् 1988 व मिसल नम्बर 1 क 120 सम्वत् 1988 के द्वारा दी गयी थी, जिस पर वादीगण काबिज काश्त है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने अविधिक तौर पर तथ्यों एवं शहादत को बिना समझे तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वाद को निरस्त करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा केवल मात्र एक तनकी संख्या–3 पर विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 में प्रावधित प्रावधानों की अनदेखी की। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या–3 का निर्धारण तनकी संख्या–2 के निर्णय

अनुसार किया है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा भी मूल वाद में कायम की गयी सभी तनकीयात पर निर्णय पारित करते हुए अपील को निर्णीत करना चाहिए था। उनका कथन है कि विवादित भूमि पूर्णतयाः कृषि भूमि है जिसे कभी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा रूपान्तरित नहीं की गयी ना ही आबादी प्रयोजनार्थ सेट अपार्ट की गयी है परन्तु अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आदेश के होते हुए मात्र तहसीलदार व जिला कलक्टर के पत्र के आधार पर विवादित भूमि को आबादी की मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उनका कथन है कि विवादित भूमि प्रदर्श–1 के अनुसार लक्ष्मणपुर के खाते की थी। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य नकल खसरा गिरदावरिया प्रदर्श–5, प्रदर्श–6 एवं प्रदर्श–7 पटवारी रिपोर्ट अनुसार वादीगण के कब्जे काश्त में होना साबित थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जावे।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–2 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में बिलानाम किस्म आबादी दर्ज होकर नगर विकास प्रन्यास की सम्पत्ति है, जिस पर उनके पक्षकार का कब्जा है तथा विवादित आराजी आबादी भूमि होने से उसके बाबत् प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय में निहित

नहीं है। उनका कथन है कि वादीगण की किसी भी आराजी को बिलानाम राजस्व अभिलेख में अंकित नहीं किया गया है। उनका कथन है कि राज्य सरकार ने आबादी में स्थित समस्त बिलानाम भूमि स्वायत शासन संस्थाओं को सोपे जाने से यह भूमि न्यास की स्थापना से ही न्यास की है एवं कब्जा भी नगर विकास न्यास का है। उनका कथन है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने विवादित आराजी बाबत् पहले भी राजस्व मण्डल में मिसल नम्बर 57 सं0 2006 दायर होकर दिनांक 23-1-1951 को फैसल हुई तथा निर्णय वादी के खिलाफ होकर भूमि सरकारी ही मानी गयी थी। अब उसी भूमि बाबत् दुबारा वाद नही ं चल सकता है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् समवर्ती निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उनका कथन है कि अपीलार्थीगण ने अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22-12-2004 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में दिनांक 21-4-2005 को अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के बिना पेश की गयी है जो धारा 3 मियाद अधिनियम के अनुसार निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। योग्य अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 1997 आरबीजे पेज 594, 2013 आरआरटी II पेज 808 एवं पेज 1347, 2007 आरबीजे पेज 35, 2011 आरबीजे पेज 364, 2010 आरबीजे पेज 289, 2015 आरआरटी I पेज 232, 2016 आरआरटी I पेज 235 एवं 1998 आरआरटी I पेज 235 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

6. योग्य राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या-1 ने अपनी बहस में प्रत्यर्थी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत बहस का समर्थन करते हुए अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किये जाने का कथन किया।

7. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड एवं पारित निर्णयों का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

8. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चितौडगढ के न्यायालय में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1605/1 एवं खसरा नम्बर 1606 कुल किता दो कुल रकबा 15बीघा 12 बिस्वा भूमि बाबत् प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 1605/1 रकबा 12बीघा 17बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 06 विवाद्यक की विरचना कर उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08–05–2000 से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने मुख्य तनकी संख्या–1 व 2 के निर्णय में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विवादित आराजी को वादीगण की खातेदारी की भूमि नहीं मानते हुए तथा विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं एवं आबादी की भूमि होना मानते हुए उक्त तनकी दोनों तनकियों को वादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया है तथा तनकी संख्या–3 के निर्णय में विवादित आराजी को आबादी भूमि होना मान उक्त तनकी को वादीगण को विरूद्ध निर्णीत किया गया है। इसी प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने तनकी संख्या–3 न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में कायम तनकी पर निर्णय सर्वप्रथम किया जाना उचित मानते हुए उक्त तनकी के निष्कर्ष में यह माना गया कि विवादित आराजी आबादी की भूमि होने से वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व

न्यायालय को नहीं होना अंकित करते हुए अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को खारिज कर दिया।

9. विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी प्रदर्श–3 से प्रदर्श–6 एवं प्रदर्श–7 खसरा गिरदावरी में विवादित आराजी की किस्म आबादी दर्ज है। उक्त राजस्व अभिलेख से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी आबादी की भूमि है, जिसके बाबत् प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को निहित नहीं होकर सिविल न्यायालय को निहित है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भी विवादित आराजी को आबादी की भूमि होना मानकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है।

10– प्रस्तुत प्रकरण में योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–2 ने हस्तगत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत होने बाबत् आपत्ति उठायी गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–12–2004 के विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 21–04–2005 को पेश की गयी, जो लगभग एक माह के विलम्ब से पेश की गयी है। अपीलार्थीगण ने मण्डल के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया गया है, ना ही अपील मीमों में मियाद को क्षम्य् किये जाने बाबत् कोई कथन किया गया है। प्रावधित प्रावधानों के अनुसार विलम्ब से प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र पेश किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर विलम्ब को क्षम्य् किये जाने बाबत् कोई कथन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार नहीं किया जाकर धारा 3 मियाद

अधिनियम में प्रावधित प्रावधानों के अनुसार मियाद के बिन्दू पर ही निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से इसी बिन्दू पर खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(महावीर सिंह)
सदस्य